



2026:AHC: 3394

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19564 वर्ष 2025

शिव शंकर यादव एवं 49 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

अभिषेक कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 1 का प्रश्न है, वह रिट-ए संख्या 28342 वर्ष 2014 में एक पक्षकार थे, जिसमें शासनादेश दिनांक 30.10.1979 और 12.11.1979 के आलोक में नियुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी; उक्त रिट याचिका 05.09.2016 को खारिज कर दी गई थी और अंतः-न्यायालय अपील/विशेष अपील संख्या 669 वर्ष 2016, जो 20.10.2016 को तय हुई थी, में यह टिप्पणी की गई थी कि जब राज्य सरकार अप्रेंटिस प्रमाणपत्र के आधार पर विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, तब याचिकाकर्ता अपना दावा पेश कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हालांकि विज्ञापन जारी करने या संबंधित पदों को भरने के संबंध में प्रतिवादियों के कुछ पत्राचार हुए हैं, लेकिन आज तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को नए नियमों के अनुसार बाइंडिंग असिस्टेंट के पद पर या समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति के लिए प्रथम वरीयता देने का निर्देश दिया जाए।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के पास विज्ञापन जारी करने के लिए दबाव डालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि रिक्तियों को भरना नियोक्ताओं का विशेषाधिकार है कि उन्हें उनकी आवश्यकता है या नहीं।

5. न्यायालय की राय में, एक बार विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद याचिकाकर्ता अपनी पात्रता, योग्यता और उपयुक्तता के अनुसार हमेशा अपना दावा पेश कर सकते हैं और यदि वरीयता का कोई प्रावधान है, तो उसे याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाएगा।

6. उक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश